राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6543 / 2022

बसन्त कुमार मीणा (कर्मचारी आईडी.–आरजेबीआर200004004235)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2022
आदेश की दिनांक : 05.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी स्थानांतरण दिनांक 24.08.2022 को भु अभिलेख निरीक्षक पद सर्किल अंता तह. अंता जिला बांरा से सर्किल देवरी तह. शाहाबाद में बांरा में कर दिया गया। अपीलार्थी ने आलौच्य स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 498 / 2022 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 28.10.2022 को आदेश पारित किया एवं यह आदेश दिया कि अपीलार्थी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये कि वह अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश पारित कर

निस्तारित करे। अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 24.08.2022 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गए। उपरोक्त आदेश के पश्चात् अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.12.2022 (अनुलग्नक–1) पारित किया गया। जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किया गया और अपीलार्थी का स्थानांतरण यथावत् रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का 2 वर्ष की अल्प अवधि में 5 बार स्थानांतरण कर दिया गया। वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण 11 माह में किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को लाभ पंहुचाने व उसे समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी का पुत्र मानसिक रूप से बीमार है, जिसका इलाज चल रहा है। अपीलार्थी के कंधे पर भी चोट लगी है, जिस कारण से वह परेशानी में है। अपीलार्थी का भी इलाज चल रहा है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर उचित प्रकार से विचार नहीं किया गया है और अभ्यावेदन गलत रूप से खारिज किया गया है। इन कारणों से आक्षेपित स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जावें और अपीलार्थी के संबंध में जो अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिनांक 20.12.2022 है, उसे अपास्त किया जावें।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने पूर्व में उपरोक्त वर्णित समस्त आधारों को उठाते हुए अपील संख्या 498/2022 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुई थी। जिस अपील में अपीलार्थी को अभ्यावेदन देने के निर्देश दिये थे। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया गया है।

4. हमारे द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 20.12.2022 का ध्यानपूर्वक मनन किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण हुआ है। उसके अभ्यावेदन में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त आपत्तियों पर विचार किया जा चुका है और स्थानांतरण निरस्त किये जाने का कोई सारभूत कारण नहीं माना गया है। प्रशासनिक दृष्टि से अपीलार्थी को शाहबाद लगाया गया है एवं उक्त आदेश में शाहबाद लगाये जाने का कारण भी अंकित है कि तह. शाहबाद, छबड़ा छीपा–बड़ोद में ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड होने का कार्य शेष है। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वो अपने विवेक से यह निर्णय कर सके कि उसे किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। अपीलार्थी की सेवाएं शाहबाद में लिये जाना उचित माना गया है। जिसका कारण भी अभ्यावेदन के निस्तारण के आदेश में दिया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है, जिस पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार मौजूद नहीं है।

5. परिणामस्वरूप अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनंत भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)